

17.7.19

बार-बार आवाज दिलीये जाने के उपरान्त भी न अधिवक्ता प्रार्थी व न प्रार्थी उपस्थित आये। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रा० में दिनांक 10.9.18 से रेल्वी० के कारिसों की का० मु० की कार्यवाही अपेक्षित है। पूरन्तु वकील प्रार्थी द्वारा नहीं की गई है। अतः पत्रावली अदम धजरी, अदम पैरवी व अदम तकमील में रजिस्ट्रेशन की जाती है। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। बाद जाता इन्सिडल दफतर है।

(10)  
पुनः-वक्ता प्रार्थी,  
पदेन  
सापेक्ष अपील प्रार्थी  
राजपुर रेल्व-डीप